

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 447/XVVI-19 (2017-2018) दिनांक नई टिहरी अप्रैल 17, 2018

लीज रेंट प्रमाण पत्र:

उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पत्र दिनांक:11.04.2018 के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग -58 के कि०मी० 253.00से कि०मी० 254.00 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट हेतु वन प्रभाग नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी वन रेंज कक्ष संख्या:04, जो ऋषिकेश-देवप्रयाग मोटर मार्ग के ग्राम सिंगटाली के समीप मोटरमार्ग से 50मी० दूरी के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि 0.1800हे० जिसका वर्तमान सर्किल अकृषित भूमि की दर से 1513.00 रु० प्रतिवर्ग मी० है, जिसका 07 साल का लीज रेंट उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के द्वारा जिला कार्यालय को निम्नवत प्रेषित किया गया है:-

वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)= जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य × लीज अवधि

99

$$= \frac{(0.1800 \times 1513) \times 7}{99} = 192563.63 \text{ रु०}$$

लीज रेंट = प्रीमियम का 1 प्रतिशत = 1926.00 रु०

अतएव नायब तहसीलदार पावकी देवी के पत्र संख्या:मेमो/र०का० (लीज रेंट)-2018 दिनांक: अप्रैल 10, 2018 की जांच आख्या एवं उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की जांच आख्या दिनांक:11.04.2018 के आधार पर उक्त लीज रेंट प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

क्रमांक:- 447

दिनांक:- 17/4/18

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-

- 1:-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2:-उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3:-नायब तहसीलदार, पावकी देवी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- AE 18.11.18

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।